

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया [आर.ए.एस.]

प्रकरण संख्या : 66/2019

1. गुरा सिंह उर्फ गुरचरण सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ सी तहसील श्री करणपुर।

---प्रार्थी---

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

---अप्रार्थी---

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

---निर्णय---

दिनांक : 31/10/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा कार्यालय तहसीलदार श्री करणपुर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 3 एफ सी के खाता संख्या 5, 25, 26 में प्रार्थी के नाम कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थी का नाम गुरा सिंह पुत्र जीत सिंह दर्ज है। अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, में प्रार्थी का नाम गुरचरण सिंह पुत्र जीत सिंह है। उक्त दोनो नाम मुझ प्रार्थी के है। इसलिए उक्त जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम गुरा सिंह पुत्र जीत सिंह के स्थान पर गुरा सिंह उर्फ गुरचरण सिंह पुत्र जीत सिंह दर्ज किए जाने की कृपा करे।

तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2484 दिनांक 23.10.2019 से प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट भिजवाई गई प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 3 एफ सी के खाता संख्या 5 में 2.036 हैक्टर व खाता संख्या 25 में 1.922 हैक्टर गुरा सिंह, लखविन्द्र सिंह, सुखमन्दर सिंह पिसरान जीत सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी के आधार कार्ड, परिचय पत्र, भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड, बैंक खाता पासबुक में नाम गुरचरण सिंह अंकित है। कार्यालय ग्राम पंचायत 2 एफसी मुकन के प्रमाण पत्र अनुसार गुरा सिंह व गुरचरण सिंह एक ही व्यक्ति के नाम है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त होने पर प्रकरण एल. आर.एक्ट की धारा 136 में दर्ज रजिस्टर किया गया

प्रार्थी को सूना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि चक 3 एफ सी के खाता संख्या 5, 25, 26 में प्रार्थी के नाम कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थी का नाम गुरा सिंह पुत्र जीत सिंह दर्ज है। जिसे प्रार्थी गुरा सिंह पुत्र जीत सिंह के स्थान पर गुरा सिंह उर्फ गुरचरण सिंह पुत्र जीत सिंह करवाना चाहता है। तहसीलदार की प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 3 एफ सी मुकन के खाता संख्या 5 व 25 में प्रार्थी का नाम गुरा सिंह उर्फ गुरचरण सिंह पुत्र जीत सिंह किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 3 एफ सी की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 5 व 25 में अंकित नाम गुरा सिंह पुत्र जीत सिंह के स्थान पर गुरा सिंह उर्फ गुरचरण पुत्र जीत सिंह किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस खाते के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आदेश इस आश्य का जारी किया जावे। आदेश की एक-एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ एवं भारतीय स्टेट बैंक नई धान मण्डी श्रीकरणपुर को सूचनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31/10/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले

न्यायालय में सुनाया गया।



(मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर